एमएमटीसी लिमिटेड

इवेंट के महत्व के निर्धारण के लिए नीति

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 का विनियम 30)

1. प्रस्तावना

सेबी के सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) दिनांक 2 सितंबर, 2015 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया है । ये विनियम 1 सितंबर, 2015 से लागू हैं ।

उपरोक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इवेंट के महत्व के निर्धारण के लिए नीति का अनुमोदन किया है, जिसे नीचे दिया गया है ।

2. परिभाषा

इस पालिसी में जब तक प्रसंग अन्यथा अपेक्षित न हो

"कंपनी" से अभिप्राय एमएमटीसी लिमिटेड (''एमएमटीसी'') से हैं।

"विनियम" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 से है ।

"महत्वपूर्ण इवेंट/सूचना" से अभिप्राय उस इवेंट/सूचना से है जो इस नीति के बिंदुओं में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है।

प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति और जो इस नीति में परिभाषित नहीं की गई है लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 प्रतिभूति करार (विनियम) अधिनियम 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 या डिपोजिटरी एक्ट, 1996 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में परिभाषित है, का अभिप्राय क्रमश: उन अधिनियमों/नियमों/विनियमों में क्रमश: दिया गए खर्च से है।

3. इवेंट/सूचना के महत्व के निर्धारण के लिए मानदंड

(क)इवेंट / सूचना के महत्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंड होते हैं ।

(ख)इवेंट या सूचना की चूक जो सार्वजनिक रूप से पहले ही उपलब्ध है, उस इवेंट या सूचना में अंतराल या फेरबदल आने की संभावना होती है ।

(ग) यदि उप-खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं है तो ऐसी इवेंट/सूचना को महत्वपूर्ण मानते हुए निदेशक मंडल के मत से इवेंट/सूचना को महत्वपूर्ण ही माना जायेगा ।

4. <u>महत्वपूर्ण इवेंट/(सूचना का प्रकटीकरण</u>

निम्नलिखित इवेंट/सूचना को '**<u>महत्वपूर्ण</u>**' माना जाएगा और इवेंट/सूचना के महत्व के निर्धारण के लिए बिना किसी मानदंड के अनुप्रयोग के प्रकट किया जाएगा ।

1. कंपनी की सहायक कंपनी का अभिग्रहण (अभिग्रहण समझैता शामिल हैं), व्यस्थापना येाजना(उकीकरण/विलय/अविलय/नवीकरण) या बिक्री या किसी यूनिट की बिक्री, खण्ड

   स्पष्टीकरण - इस उपखंड के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण खण्ड का अभिप्राय ;

   (1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लेना, या
   (2) कंपनी में शेयर या मताधिकार लेन या लेने के लिए सहमत होना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि :-
      (क) उक्त कंपनी में एमएमटीसी पाँच प्रतिशत या अधिक शेयर या मताधिकार रखती है, या
      (ख) इस उपखंड के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखण्ड (क) के अंतर्गत पिछले प्रकटन से होल्डिंग में परिवर्तन आया है और उक्त कंपनी में कुल शेयरहोल्डिंग या मताधिकार में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
2. प्रतिभूतियों को जारी या जब्ती, शेयर का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों का बाय-बैक, प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंद या शर्तों में फेरबदल या वर्तमान प्रतिभूतियों की संरचना जिसमें जब्त प्रतिभूतियों को पुन: जारी करना, कॉल प्रतिभूतियों इत्यादि का शोधन ।
3. रेटिंग में संशोधन
4. मंडल की बैठकों का निष्कर्ष : कंपनी निम्नलिखित पर विचार करके बैठक की समाप्ति से 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज को सूचित करेगी
   (क) संस्तुति किए गए या घोषित किए गए लाभांश और/या नकद बोनस या लाभांश पारित करने का निर्णय और वह तिथि जिस दिन लाभांश भुगतान/प्रेषित किया गया ।
   (ख) लाभांश कैसल करने का कारण

(ग) प्रतिभूति से बाई-बैक लेने का निर्णय

(घ) धन जुटाने के प्रस्ताव का निर्णय

(ङ) पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयर जारी करके पूंजी में वृद्धि के साथ-साथ उक्त बोनस शेयरों को क्रेडिट/प्रेषण करने की तिथि

(च) जब्त किए गए शेयरों अथवा पूतिभूतियों को पुन: जारी करना अथवा भविष्य में निर्गमन के लिए आरक्षित शेयरों अथवा प्रतिभूतियों को जारी करना अथवा किसी अन्य रूप में सृजन करना अथवा नए शेयरों या प्रतिभूतियों अथवा शेयरधारक बनने के लिए कोई अन्य विशेषाधिकार या लाभ देना।

(छ) पूंजी में किसी अन्य प्रकार के परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण जिसमें कॉल शामिल है।

(ज) वित्तीय परिणाम

i) स्टॉक एक्सचेंज(जों) से कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सूची से निकलने का निर्णय

5 एमएमटीसी के प्रबंधन एवं नियंत्रण को प्रभावित करने की सीमा तक समझौते(जैसे शेयर धारक समझौता(ते), संयुक्त उपक्रम समझौता(ते) फैमिली सैटलमैंट समझौता(ते), मीडिया कंपनी(यों) के साथ समझौता(ते)/अनुबंध/संविदा(एं), जो आवश्यक है तथा सामान्य व्यापार का रूप नहीं है, रिवीजन अथवा संशोधन एवं इनका समापन।

6. प्रवर्तकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा कंपनी द्वारा धोखा/चूक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा प्रवर्तक की गिरफतारी
7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों(प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव आदि लेखा परीक्षक एवं अनुपालन अधिकारी में बदलाव
8. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति अथवा निलम्बन
9. कारपोरेट ऋण पुनसंरचना
10. बैंक के साथ एक मुश्त निपटान
11. किसी भी पार्टी/लेनदार(क्रेडिटर) द्वारा फाईल किया गया बीआईएफआर को संदर्भ अथवा बाईडिंग-अप याचिका
12. शेयरधारकों, ऋण पत्र(डिबेंचर)धारकों अथवा लेनदारों(क्रेडिटर्स) अथवा उनके किसी भी वर्ग को सूचना, कॉल लैटर, प्रस्ताव एवं परिपत्र जारी करना अथवा मीडिया में विज्ञापित करना।
13. वार्षिक एवं आम बैठक की कार्यवाही
14. संक्षेप में मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में संशोधन

15. विश्लेषकों अथवा संस्थागत निवेशकों की मीट का शैडयूल तथा विश्लेषकों अथवा संस्थागत निवेशकों को एमएमटीसी द्वारा तैयार किए गए वित्तीय परिणामों का प्रस्तुतीकरण
16. सामान्य व्यवसाय नही होने की स्थिति अवार्डिंग, बैगिंग/रिसीविंग, या अवार्ड किए गए/बैगिंग किए गए आदेशों/संविदाओं में संशोधन या समापन
17. किसी तृतीय पक्ष के लिए गारंटी देना या क्षतिपूर्ति करना अथवा जमानती बनना।
18. समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई इवेंट/सूचना

5. महत्वता के मानदंडों को पूरा करने वाली इवेंटों/सूचनाओं का प्रकटन

महत्वता के मानदंडों पर महत्व आधारित निम्नलिखित इवेंटों/सूचनाओं पर भी विचार करने के साथ साथ इनका प्रकटन भी किया जाए।

1. किसी इकाई/प्रभाग में वाणिज्यिक उत्पादन अथवा वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने अथवा किसी प्रकार के स्थगन की तिथि
2. रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण अथवा विपणन गठबंधन, व्यापार के नए क्षेत्रों को अपनाना अथवा किसी ईकाई/प्रभाग के प्रचालन को बंद(पूर्णत:/आंशिक रूप से) करने हेतु व्यवस्थाओं द्वारा व्यापार के सामान्य स्वरूप एवं प्रकृति में बदलाव।
3. क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पाद लांच
4. समझौते (उदाहरणार्थ ऋण समझौता(ते) (कर्जदार के रूप में) अथवा कोई अन्य समझौता(ते) जो आवश्यक हैं तथा सामान्य व्यापार के सामान्य व्यवहार में नहीं हैं) अथवा उनमें संशोधन या सुधार या समाप्ति
5. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि), अप्रत्याशित घटना अथवा हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसे घटनाओं के कारण कंपनी की एक या अधिक इकाईयों अथवा प्रभागों के प्रचालन में बाधा
6. निगम पर लागू नियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव प्रभाव सहित
7. मुकदमेबाजी(यां)/विवाद/नियामक कार्यवाहियां।
8. निगम के निदेशकों(मख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से इतर) अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखा/चूक आदि।
9. किसी भी ईएसओपीएस/ईएसपीएस योजना सहित प्रतिभूतियों की खरीद का विकल्प।
10. प्रमुख लाईसेंसों अथवा नियामक अनुमोदनों की स्वीकृति, वापस लेना, त्यागना, रदद करना या निरस्त करना।

11. कोई अन्य सूचना/घटना अर्थात नई तकनीकों का अविर्भाव, पेटेंटस की समाप्ति, लेखों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखा नीति में कोई परिवर्तन आदि जैसी प्रमुख घटनाएं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं तथा इनका संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ कोई अन्य सूचना जो केवल कंपनी के ही संज्ञान में है तथा जो निगम की प्रतिभूतियों के धारकों को निगम की स्थिति का मूल्यांकन करने एवं उक्त प्रतिभूतियों में फर्जी बाजार के प्रतिस्थापन से बचने के लिए आवश्यक रूप से सक्षम हो।

    सेबी विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर यथासंभव उचित रूप से नीति में वर्णित घटनाओं, सूचनाओं का निगम द्वारा स्टाफ एक्सचेंजों को दिखाया जाएगा।

6. <u>किसी इवेंट अथवा सूचना के महत्व का निर्धारण करने के लिए केएमपी को प्राधिकृत करना।</u>

सेबी (लिस्टिंग ओब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमैंटस) विनियम 2015 के अनुरूप कंपनी के निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के कार्यकारी सदस्यों को प्राधिकार दिया है कि वे अलग अलग तथा/अथवा संयुक्त रूप से किसी ईवेंट अथवा सूचना के महत्व का निर्धारण नीति में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार करें तथा कंपनी सचिव (सीएस) को निदेश दें कि वह सेबी (लिस्टिंग ओब्लीगेशन्स एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमैंटस) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को दिखायें।

7. <u>नीति पुनरीक्षा एवं प्रकटन :</u>

सेबी (लिस्टिंग ओब्लीगेशन्स एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) विनियम 2015 की आवश्यकताओं के आधार पर इस नीति को बनाया गया है। इसके पश्चात सेबी द्वारा किए गए संशोधन तथा/अथवा सुधार इस नीति पर स्वत: ही लागू होंगे। विनियमों में तदन्तर में किए गए परिवर्तन यदि नीति के किसी भी प्रावधान को विनियमों से असंगत बनाते हैं तो नीति में विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।